

दिनांक

सहायक उपखंड अधिकारी
पत्र सहायक कलक्टर
करेड़ा (भीलवाडी)

श. वा

हुम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

७. ए. - १५/१७

के विरुद्ध रक्ततरफा कार्यवाही के आदेश दिने जाते हैं। पत्रावली देखने तामिल अतिवादी संख्या १, २, ३, ५, ७ दिनांक २३/११/१८ को

पेश हो।
उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

२३/११/१८

पत्रावली पेश हुई। कमील वारी उपस्थित कमील वारी ने अतिवादी सं० १, २, ३, ५, ७ के तामिल प्रोसेस करते हुए समझाया कि प्रोसेस दिनांक २३/११/१८ पत्रावली देखने तामिल अतिवादी सं० १, २, ३, ५, ७ दिनांक २६/३/१८ को पेश हो।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

२६/३/१८

उभय पक्ष उपस्थित पीतारीन अधिकारी सहायक कार्य से बाहर है। अज्ञान पर है/पदरिक्त है- अज्ञान पत्रावली दिनांक २६/३/१८ को पेश हो।

उपखंड अधिकारी, करेड़ा

२५/५/१८

पत्रावली के अतिवादी नके पत्रावली के मय जमानत प्रितामद। के पेश वास्तव है। हुई। वाडी नडसिंह उपस्थित। वाडी उक्त पत्रावली में कोई अतिवादी नहीं पाएगा है उपस्थित वाडी का वाडपत्र शीघ्र कि जाता है। पत्रावली के खल मुकाल होकर उपस्थित हो तथा नवल से काम की जाए।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा